"स्व० बन्हाई गुक्ता सामाजिक सेवा संस्थान"

| | | - | | | |
|----|---------|----|-----|-----|----------|
| ~2 | Per min | 42 | 100 | - | Service. |
| - | 34 | | 7 | SE. | 28 |
| - | - | • | 3.7 | - | 77 |

01. संस्था का नाम

: इस संस्था का नाम "स्व० कन्हाई गुक्ता सामाजिक तेवा तंस्थान होगा।

02 निबन्धित कार्यालय

:- इस संस्था का निवंधित कार्यालय अस्पताल रोड, हाजीपुर पो०-हा जीपुर, जिला-वेशाली शिवहार है में रहेगा। किन्त आवश्यकतानुसार कार्यालय स्थाम परिवर्तन करने की सूचन निबंधन विभाग की ।। दिनों के अन्दर दे दी जायेगी।

:- इत संस्था का कायीक्षत्र तम्पूर्ण भारत वर्ष होगा। किन्तु शाबा कहीं भी बीली जा सकती है।

:- इस संस्था के निम्नलिखत उत्देशय होंगे :-

उद्देश्य 04

- संस्था गरी है, गोषित, दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, के वैद्याणक, आर्थिक, सामाजिक, राज्नैतिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्रों में िकास का कार्य करेगी तथा इस संस्था का यही मुख्य उद्देशय होगा।
- तैस्था शिक्षित हेरीजगार छात्र एवं छात्राओं की स्वरोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत हिन्दी एवं भीजी टंकण, अञ्चालिप, इलेक्ट्रोनिका, डिप्लोमा, कच्च्यूटर डिप्लोमा, शॉप्टवेयर एवं हाडीयर तथा रिफरेशर की समृचित निःशुत्क प्रविद्वाण प्रवान कर स्वावलंबी बनाना।
- क महिलाओं एवं पुक्तों को जिस्ति करने हेतु तरकार दारा संवालित कार्यक्रम तथा प्रौद शिक्षा, अनौपवारिक शिक्षा, तर्व शिक्षा अभियान, आणनवाड़ी, बालवाड़ी, संधिष्त पाठ्यक्रम, साक्षरता अभियान का कार्य करना।
- दः महिलाओं एवं बच्चों के स्वास्थ्य रक्षा हेतु लोगों को टीकाकरण, कुट्ट, एड्स, वैसर, परिवार नियोजन, जनतंख्या नियंत्रण हेतु कार्य करना ।
- तंस्था पुस्तकालय, ाचनालय, तंगीतालय की स्थापना कर लोगों की बीद्रिक विकास में मदद करना ।
- पर्यावरण तरक्षा हेत् दृक्षारीयण, ज्ञामीण तफाई, शौचालय, प्राकृतिक उर्जा आदि के लिए धुआं रहित युल्हा का निर्माण की ट्यवस्था करने का प्रयास करना।
- तंस्था प्रगतिशील छात्र/छात्राओं है लिए संगीत नाद्य एवं नृत्यकला का नि:शुल्क प्राथमण देने का प्रवास करेगी । हिन्द्र देव अरे रहती

- ज. संस्था आपातकालीन स्थिति जैसे धाद, आगमनी, अधाल, आक्रियक दुर्घटना जैसे परिस्थिति में लोगों के लिए भोजन, वस्त्र, दवा, आपात, दियातलाई, मोमधदती प्लास्टिक, त्रिपाल आदि की व्यवस्था करना।
- इ. तंस्था कृषि एवं कंतर भूमि तथा कितानों को आधुनिक उपकरण ने कृषि उत्पादन को बदाने तथा उन्हें खाद, बीज एवं उन्नत किस्म के पसल के तंबंध में जानकारी देना।
- ट. तंत्था मूक-बिधर, विक्लांग, नेत्रहीन, अनाथ एवं बेतहरा बच्चों एवं महिलाओं के रख-रखाव एवं उन्हें स्वरीजगार को ओर उन्मुख करेगी।
- क तंस्था ना उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सेमिनार संगोष्ठी का आयोजन करेगी।
- ड. संस्था बरोजगार युवक एवं युवतियों को रोजगारीन्मुख कराने हेत तिलाई-कटाई, पेशींग, क्यीदाकारी, ब्रुनाई, रंगाई, आभूतिपि, टंकण, कस्प्युट र आदि की जानकारी देगी।
- दाष्ट्रीय रकता, अखण्डता, स्वतंत्रता रवं तार्वमी मिकता को अधुण्य बनाये रखने है
 दित तर्वमा कार्यरत रखना रवं देश व तमाज में पैक रही विधटनकारी रवं
 राष्ट्रविशोधी तत्वों के प्रति तत्कं करना।
- ण जाति, धर्म, सम्प्रदाय एवं राजनीति से रहित समाज के हरिजन एवं आदिवासी विशेषकर महिलाओं के विकास हेतु आधिक, सामाजिक, रैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्य-क्रम का प्रचार-प्रसार करना।
- तः ग्रामीण युवक एवं युवतियों को प्राथमिक स्वास्थ्य एवं शिक्षा तंबंधों ज्ञान देना एवं रोगियों को सेवा करनके तंबंध में निः मुल्क प्रशिक्षित करना। इसके साथ-साथ चिकित्सा संबंधी विभिन्न यंत्रों एवं उपकरणों का व्यवहार एवं उपयोग करने के लिए प्रशिक्षित करना।
- था खादी जामीधीन व राज्य खादी जामीधीन एवं न्यू उधीनी की चनाना तथा संस्था के नोनों की इसके माध्यम से रोजगार प्रदान करना।
- द मिलाओं को ल्घु उधीम, कुटीर उधीम, बावड़, बड़ी आचार, सेवई, आम जेली, सत्तु, बेसन पत्ता का प्लेट, मीमबत्ती, अगरबत्ती बनाने के बारे में नि:शुल्क देक देकर उन्हें आत्म निर्भर बनाने का प्रयास करना।
- ध कामकाजी महिलाओं, किवाओं, परित्यकताओं एवं अनाथ बच्चों के निए आश्रम बनाने का प्रयास करना हिल्ली हुन्य

- क दूध पिलाने वाली माताओं को पोघाहार उपलब्ध कराना स्व माह तेवा कार्यक्रम का तंवालन करना। इसके अलावा पालनाधर को ह्यवत्था करना।
- पः बटचों एवं गर्भवतो महिलाओं हे लिए पोधाहार केन्द्रों की स्थापना कर पोधाहार वितरण करेगी तथा माताओं के बटचों के लानन-पालन के संबंध में जानकारी देगी।
- क महिलाओं के लिए महिला मंडल का निर्माण कर उनके आर्थिक विकास हेतु महिला विकास निगम से सहायता प्राप्त कर कार्य संवालित करेगी।
- क ग्राम्य विकास सर्व महिला विकास के लिए तरकार दारा चलाये जा रहे योजनाओं में सरकार का मदद करना सर्व महिलाओं की जागरूक करना।
- म गरी व, नि: सहाय, स्ट्रीट चिल्ट्रेन के लिए भोजन, वस्त्र, चिकित्सा जिल्ला उपलब्ध कराने का प्रयास करना ।
- म. वृद्धी के लिए वृद्धान्त्रम की व्यवस्था करना।
- यः ग्रामीण पिछड़ी, हरिजन, आदिवासी महिनाओं एवं बच्चों को चौमुखी विकास के लिए स्वयं सहायता समूह बनाना स्वं इसके विकास के लिए सरकारी अप एवं अनुदान प्राप्त करना ।
- रः विकलांगों को कृत्रिम अंग, पुर्नवास, शिक्षा व्यं चिकित्सा निःशुल्क उपलब्धा कराना ।
- क प्रचार-प्रसार के निये पोस्टर, बेनर, क्क्रमेंट्री आदि तैयार करना।

05 निम्निनिख्त व्यक्ति जिनका नाम/विता/पति का नाम पद, पेशा औकत है के वर्तमान के कार्यकारियों तिपति के तदस्य है। इन्हें नियमानुसार प्रबंध का भार तीपा गया है।

| कृम कि | नाम, पिता/पीत का नाम | पता | वेशा | पद |
|--------|---|---|-----------|------------|
| 1. | श्री तंजय पाण्डेय पिता-स्व0 देवनाय पाण्डेय | अन्दरकिला, हाजीपुर जिला- वैद्याली। | समाज सेवा | अध्यहा |
| 2. | त्री तृथीर कुमार शुक्ता पिता-स्व० वन्हाई प्र० शुक्ता | अस्पताल रोड, हाजीपुर जिला-वैज्ञाली । | तमाज तेवा | तचित्र, |
| 3. | श्री अरविन्द त्रिवेदी पिता-स्व0 तथाम गरण त्रिवेदी | ग्रामभयोठ-ब्यना, महुआ , जिना- वैगाली । | अधिवन्ता, | कोषाध्यक्ष |
| lp. | श्रीमती सुमन शुक्ला पति-श्री रिव मैकर शुक्ला | अस्पताल रोड, हाजीपुर जिला- वैज्ञाली। | तमाज तेवी | सदस्य |
| 5. | श्री श्याम सुन्दर प्रसाद पिता-स्व० जमदेव साह | ग्राम +पो०-हतनपुर, नयागांत, जिला-सारण। | तमाज तेवा | सदस्य |
| 6. | श्री राज्या तिवारी पिता-श्री विधाधर तिवारी | ग्राम+पो०-रोहनिया पिप सलमपुर देवरिया, ह्र्यू पी. | | सद स्य |
| | श्री विरयन्द्र पासवान पिता-स्व0 हिज्जु पासवान | ग्रामनपोठ-पानापुर लंगा जिला-वैद्याली शिवहारश्र | समाज सेवा | सदस्य |

कुद्धिर कुमर अपना (मिलेन)

06 निम्निनिवत ट्यक्ति जिनका नाम, पिता/पित का नाम पता, वेशा श्वं हस्ताक्षर नीचे दिया गया है, इत तस्था के स्मृति-पत्र के अनुतार इत तस्था में परिणत होने तथा तीताइटीज रिजस्ट्रेशन शेक्ट 1860 के अन्तर्गत निबंधन कराने के इच्छक है ;-

| PI | ांक नाम, पिता/पति का नाम | पतर | पेशा | हरताक्षर |
|----|------------------------------|--|--------------|--------------------|
| 1. | | अन्दरकिला, हाजीपुर | तमाज तेवा | St2151, A10751 |
| | पिता-स्व० देवनाय पाण्डेय | जिला- वैशाली। | | |
| 2. | श्री तुधीर कुमार शुक्ला | अस्पताल रोड, हाजीपुर | तमाज तेवा | geal gric gani |
| | पिता-हन कन्हाई प्रश् शक्ता | जिला- वैद्याली । | | 0 09 1 |
| 3. | श्री अरविन्द त्रिवेदी | ज्ञाम+यो०-हथना, महुआ | अधिवत्ता (| अरिविस त्रिनेसी |
| | पिता-स्व0 ग्याम शरण त्रिवेदी | जिला- वैभाली । | | |
| 40 | श्री मती तुमन शुक्ला | अस्पताल रोड, हाजीपुर | समाज तेवी | भागा द्वान त्या |
| 40 | पति-श्री रीव शेकर शुक्ता | िजला- वैशाली । | | 9 |
| 5. | श्री ज्याम सुन्दर प्रताद | ग्राम+पोठ-हसनपुर | तमाज तैवा | २भाम खुन्दर प्रवाद |
| | पिता-स्व० जगदेव साह | नयागांव, जिला-सारच । | | |
| 5. | श्री राज्य तिवारी | ज्ञामनयोग-रोहरिनया पिष | रा समाज तेवा | यानेया निवादी |
| | पिता-श्री विवाधर तिवारी | तलेमपुर देवरिया हुय पी. ह | | |
| 7. | श्री विरान्द्र पातवान | ज्ञाम-पो0-पानापुरलंगा | तमाज तेवा | वीर-यह दे पानिवान |
|) | पिता-स्व0 हिज्जु पासवान | AND THE PROPERTY OF THE PROPER | | |
| | [e] (| and and | 23725 | |
| | 1512 | Service Servic | 31 | |

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त ट्यक्तियों ने भेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

यह सच्ची अभिवयानित अतिनिति हैं। वास्ते किव्यन महामिरीक्षण किहार

District Labic Relations Officer
Value (Hajipur)

*स्व0 कन्हाई ग्रेक्ना तामाजिक तेवा तंस्थानः की नियमा वली

01. तंस्या का नाम

· °स्क कन्हाई शुक्ला तामा जिक तेवा तंस्थान ।

०२ परिमाषा :-

क तंत्र्या ते अभिप्राय है

° ह्व0 कन्हाई शुक्ला सामाजिक सेवा संस्थान°।

क तमिति ते अभिग्राय है : संस्था की कार्यकारिणी तमिति। म पदार ते अभिग्राय है : अध्यक्ष, तचिव एवं कोषाध्यक्ष।

द्य. वर्ष ते अभिप्राय है । लो अप्रैल ते 31 मार्च तक । इ. ऐक्ट ते अभिप्राय है : तोताइटी रजिस्ट्रेशन ऐक्ट 21, 1860

०३ सदस्यता :

प्रत्येक व्यक्ति जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक को हो तो संस्था के निगमों एवं उद्शयों का निरुठा पूर्वक पालन करते हो वे संस्था के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यता ग्रहण करने हें हु उसे विहित प्रपत्र में आवेदन देना होगा, जिसकी स्वीकृति या अस्वीकृति कार्य-कारिणी समिति दारा प्रदान को जायेगो। संस्था के प्रत्येक सदस्य को 21/= रूपया प्रवेष शुल्क एवं 11/= रूपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देना होगा।

04 तदस्यता की तमाप्ति :

निम्निलिखत परिस्थितियों में तंत्था ते सदस्यों को सदस्यता समाप्त को जायेगी :-

क स्वयं त्याग पत्र देने पर ।

ख पागल या मृत्यु होने पर।

ग॰ सदस्यता शुल्क नहीं देने पर ।

यः समिति दारा अविश्वास प्रस्ताव पारित कले पर ।

ड. न्या यालय दारा दंडित होने पर ।

घ. विना कारण बताये समिति की लगातार तीन बैटक ें अनुपहिथत रहने पर।

05 कार्यकारिणो समिति का गठन :

क कार्यकारियो तमिति में पदाधिकारी तहित 7 हुतातह सदस्य होगे।

खं समिति के पदाधिकारियों खं सदस्यों का युनाव आम सभा के दारा किया जायेगा।

ग. कार्यकारिणो तमिति का कार्यकाल तीन वर्षों का होगा। निवृत सदस्य पुनः धुने जा सकते हैं।

ध यदि किसी कारणवा समिति में कोई पद रिक्त होगा तो उक्त पद पर किसी व्यक्ति को मनोनीत कर सकती है लेकिन वार्षिक कैठक में उसे विधिवत पारित कराना होगा। मनोनोत सदस्य उसी पद के अनुस्य कार्य करेंग जिसे पद के लिए उनका मनोनयन किया गया है भ

06 कार्यकारियों तमिति के अधिकार खं कर्तव्य:

- क. तंत्था के चल या अचल तंपितत का उत्तरदायी होगा।
- क तंत्या के तभी कार्यों का संपादन विधिवत करना तथा प्रस्ताव पारित करना ।
- क उधेवय की पूर्ति हेतु अन्य वैधानिक कार्य संपादित करना।
- ध. उव शाखा का निर्माव करना ।
- ड तंस्था के उधेपयों की पूर्ति हेतु विचार-विमर्श करना ।
- क तंस्था के प्रति होने वाली नियंत्रण को बहन बरकरार रखना ।

07. आम तमा के अधिकार एवं कर्तट्य:

- क. तमिति के पदाधिकारियों एवं तदस्यों का निर्वाचन करना।
- क तंस्था के आय-ट्यय नेवा पर विचार करना तथा स्वीकृति देना।
- ग. अकेक्षक को नियुक्ति करना।
- क अध्यक्ष की राय से अन्य विषय पर विचार करना।

08 बैठक :

- क. कार्यकारियो तीमीत को बैठक उत्येक तीन माह पर होगी।
- क आम तमा की ताथारण बैठक प्रत्येक वर्ष अप्रील माह में होगी।
- ग. कार्यकारिणी समिति को अत्याक्षयक बैठक कभी भी ब्लायो जा सकती है।
- द्ध आम तमा की विशेष बैठक कभी भी हलायी जा तकती है।

0% प्राधित बैठक :

1/3 सदस्यों की लिखित मांग पर आवेदन प्राप्ति के एक माह के अंदर सचिव की बैठक छूलाना होगा। आवेदन पत्र में विचारणीय विषय का स्पष्ट उल्लेख इस होना चाहिए। यदि सचिव उक्त अवधि के अंदर बैठक का आयोजन नहीं करते हैं तो आवेदन की अधिकार होगा कि आवेदन में उल्लिखित विषय के निर्णय हेतु बैठक का आयोजन कर सकते हैं।

10. बैठक की त्यना :-

- क. कार्यकारिणी सीमिति को बैठक की सूचना सात दिन पूर्व दी जायेगी।
- ब. आम तभा को बैठक को तूचना 15 दिन पूर्व दो जायेगी।
- ग. कार्यकारिणी समिति की अन्वस्थक बैटक की सूचना 48 घंटे पूर्व दी जायेगी।

घ. आम सभा को आवश्यक बैठक की सूचना 10 दिन पूर्व दी जायेगी। ड बैठक की सूचना, सूचना पंजी भे हस्ताक्षर प्राप्त कर दी जायेगी।

कोरम कुणपूर्ति : प्रत्येक बैठक का कोरम कुल सदस्यों का साधारण बहुमत होगा । कोरम के अभाव में
 बैठक स्थागित हो जायेगी ।

12. पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :

अध्यक्ष :

- क तंस्था के प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करना ।
- र किसी किया पर मतदान के समय पक्ष या किया के समान मत आने की स्थिति में अपने निर्णायक मत का उपयोग करना ।
- म कार्यवाही पंजी पर अपना हस्ताक्षर करना ।

सचिव :

- क प्रत्येक बैठक का आयोजन करना ।
- ख बैठक की कार्यवाही की कार्यवाही पंजी मैं अंकित करना तथा अध्यक्ष से हस्ताक्षर कराकर अपना हस्ताक्षर करना ।
- ग- प्रत्येक पंजी सर्व कागजाती की तुरक्षित रखना ।
- घ तंत्या की और ते पत्राचार करना ।
- ड तंस्या के आय-व्यय का अकक्षण कराना ।
- च- अध्यक्ष की राय ते अन्य कार्य करना ।
- छ कर्मचारियों को नियुक्ति सर्व बडास्तगों के अधिश कार्यकारिणी समिति के अनसह सलाह पर करना
- ज तंस्था के हित में कार्य करना ।

कोषाध्यक्षः

- क. संस्था के आय-व्यय का हिसाब रखना और सचिव के दारा बैठक में प्रस्तुत करना।
- क सदस्यता गुल्क एवं प्रवेश गुल्क आदि प्राप्त कर रसीद देना ।
- क तंस्था के कोष को किसी निवंधित कैंक/डाकघर में तंस्था के नाम पर लमा करना।

। ३ आय का श्रोत :-

- क. सदस्यता गुल्क एवं ज़ेका गुल्क ।
- क. सरकारी वर सरकारी, दान, अनुदान, सहायता ।
- म. प्रशिक्षण के दौरान तेष्ट्या दारा उत्पादित उस्तुओं की विक्रों से के दुस्ते राज्ये

। 4 कीच का तंचालन :

तंस्था की तभी राशियां तंस्था के नाम कुले डाकधर या राष्ट्रीयकृत के खाते में जमा की जायेगी तथा तभी रकम को विकासी अध्यक्ष, सचिव स्वं कोषाध्यक्ष में ते किन्हीं दी के संयुक्त हस्ताक्षर से की जायेगी।

15. निधि का अकिक्षण :

- क तंत्र्या के आय-ट्यय का लेखा नियमित त्य ते रखा जायेगा तथा आम तभा के दारा नियुक्त अकेशक ते प्रतिवर्ध अकिश्वत कराया जायेगा।
- ख निकंपन महानिरोधक कभी भी अभने विवेक ते तंत्था का अकेक्षण किती मान्यता प्राप्त चार्टर्ड स्काउन्टेन्ट ते करा तकते हैं। इस हेतू चार्टर्ड स्काउन्टेन्ट का शुल्क तंत्था द्वारा वहन किया जायेगा।
- तिस्था की तमी पंजियां निवंधित कार्यालय में जमा रहेगी जहां कोई भी तदस्य या स्टब्स्टी अधिकारी तिचिव की अनुमति से तदस्य पंजी, लेखा पंजी रवं कार्यवाही पंजी का निरोध्ना कर सकते हैं।

। 7. नियमा वनी में तंशीधन :

नियमावली में किसी भी प्रकार का संशोधन आम तभा के 3/5 सदस्यों दारा प्रस्ताव पारित करने पर ही किया जायेगा।

18 कानूनी कार्रवाई:

तंत्था पर या तंत्था के द्वारा कानूनी कार्रवायी तचिव के पदनाम से होगी तथा अधिवक्ता का नियुक्ति तमिति को तलाह से को जायेगी।

19 वियटन एवं वियटनोपरात संपत्ति को व्यवस्था :

- क संस्था का विकटन संस्था अधिनियम 21, 1860 की धारा 13 के आलोक में सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के बाद ही किया जायेगा।
- क आम सभा के 3/5 सदस्यों जारा प्रस्ताव पारित करने पर ही संस्था का विवटन

गः तैरथा के विवादनोपरांत को वल या अवल तंपरित बोगी वह किसी सदस्य या गैर सदस्यों में नहीं बांटी जायेगी बल्कि आम समा के 3/5 सदस्यों दारा प्रस्ताव पारित करने पर समान उपेषयवाली दूसरी संस्था या सरकार को दी जायेगी ।

प्रमाणित किया जाता है कि वह नियमावली की तच्ची प्रति है।

2000 410521

NE CEI

अस्तिन जिवही

को बाध्यक्ष

मिवन कियार श्रुक्ता

वास्ते. विश्वसन व्यासिय विश्वस